भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4600

जिसका उत्तर 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

उत्तर प्रदेश में भूजल में आर्सेनिक का स्तर

4600. श्री देवेश शाक्य:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के एटा, कासगंज, मैनपुरी, कन्नौज और औरैया सहित 45 जिलों में भू-जल में आर्सेनिक की मात्रा 0.01 मिग्रा/लीटर से अधिक पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संदूषण को कम करने और इस संबंध में सुधारात्मक उपायों को कार्यान्वित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य पर पड़ने वाले किसी प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा आर्सेनिक प्रभाव के खतरों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षित पेयजल पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा भूमि जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग कार्यक्रम और विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के भाग के रूप में क्षेत्रीय स्तर पर भूमि जल गुणवत्ता आंकडे तैयार किए जाते है। सीजीडब्ल्यूबी द्वारा तैयार की गई वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट-2024 के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 29 जिलों के अलग-अलग पाकेटों में भूजल में निर्धारित सीमा से अधिक आर्सेनिक होने की सूचना प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश में अनुमत्य सीमा (>0.01 एमजी/लीटर) से अधिक आर्सेनिक का जिलावार वितरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

जल राज्य का विषय है। भूजल संसाधनों का स्थायी विकास और प्रबंधन मुख्यतः राज्य सरकारों का दायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से उत्तर प्रदेश सहित राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान की जाती है। इस दिशा में, देश में भूजल संसाधनों के संरक्षण और स्थायी विकास के लिए जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:-

- सीजीडब्ल्यूबी के पास उपलब्ध भूजल गुणवत्ता संबंधी आंकड़ों को रिपोर्टों के माध्यम से पब्लिक डोमेन में साझा किया जाता है और आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ भी साझा किया जाता है। भूजल गुणवत्ता पर ज्ञान के प्रसार में और तेजी लाने के लिए, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा अर्ध-वार्षिक भूजल गुणवत्ता बुलेटिन और पाक्षिक अलर्ट जारी करने की प्रथा शुरू की गई है ताकि सूचित क्षेत्रों में तत्काल कार्रवाई शुरू की जा सके।
- सीजीडब्ल्यूबी के राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण कार्यक्रम (नेक्यूम) के अंतर्गत भूजल में आर्सेनिक जैसे विषैले पदार्थों द्वारा संदूषण सहित भूजल गुणवत्ता के पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। है। सीजीडब्ल्यूबी द्वारा संदूषण मुक्त जलभृत्तों का दोहन करने के लिए सीमेंट सीलिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कूपों का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश में नेक्यूम कार्यक्रम के अंतर्गत आर्सेनिक सुरक्षित जलभृत्तों का दोहन करने वाले 294 अन्वेषणात्मक कूपों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्राप्त सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा भी इस प्रौद्योगिकी को अपनाया गया है और 9 जिलों में सीमेंट सीलिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए 204 कूपों का निर्माण किया गया है जिससे 5 लाख निवासियों को इसका लाभ प्राप्त हुआ।
- सीपीसीबी द्वारा बिंदु स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए जल प्रदूषण पर एक व्यापक कार्यक्रम बनाया है, जिसके मुख्य घटक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित अपशिष्टों के निर्वहन के लिए उद्योग विशिष्ट मानकों और सामान्य मानकों का विकास, जिन्हे एसपीबी/ पीसीसी द्वारा सहमति तंत्र से कार्यान्वित किया जाना; लघु उद्योगों के समूह के लिए सामनी अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) की स्थापना; अपशिष्ट की गुणवत्ता आदि के विषय में वास्तविक समय पर सूचना प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा ऑनलाइन सतत अपशिष्ट मॉनीटरिंग प्रणाली (ओसीईएमएस) की स्थापना आदि है।
- भारत सरकार द्वारा राज्यों की साझेदारी में, अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल का कार्यान्वयन किया जा रहा है, ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता और नियमित एवं दीर्घकालिक आधार पर नल के पेय जल की आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके। जेजेएम के तहत, भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को नल के माध्यम से जल सेवा वितरण की गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानदंडों के रूप में अपनाया गया है। जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद से ही जल सुरक्षा इसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक रही है।
- जेजेएम के तहत, घरों में नल से पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए जल आपूर्ति स्कीमों की योजना बनाते समय, गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। किसी विशेष वित्तीय वर्ष में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन करते समय, आर्सेनिक सहित रासायनिक

संदूषकों द्वारा प्रभावित रिहाइशों में निवास करने वाली जनसंख्या को 10% का वेटेज दिया जाता है।

(ग): पेयजल के प्रयोजनार्थ लंबे समय तक अनुमत्य सीमा से अधिक आर्सेनिक युक्त पेयजल के उपयोग से स्वास्थ्य पर अनेक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, आर्सेनिक के संपर्क में आने से बच्चों में त्वचा में घाव, कैंसर, हृदयवाहिका रोग और विकास संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

(घ): आर्सेनिक प्रभाव के खतरों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कई उपाय शुरू किए गए हैं:

- सबसे पहले, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा "भारत में आर्सेनिकोसिस का पता लगाने, रोकथाम और प्रबंधन" के लिए तकनीकी दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और स्वास्थ्य अधिकारियों और कार्यक्रम प्रबंधकों द्वारा उपयोग के लिए प्रभावित राज्यों के साथ साझा किए गए हैं। इनका उपयोग चिकित्सा अधिकारियों, पैरामीडियल कार्यकर्ताओं आदि जैसे फील्ड कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए भी किया जाता है।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा रोग के लक्षणों और आर्सेनिकोसिस की रोकथाम के बारे में जागरूकता का सृजन करने करने के लिए, प्रभावित राज्यों के साथ सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री भी साझा की गई है।
- इसके अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा किए जा रहे वैज्ञानिक अध्ययनों के परिणामों के प्रसार के लिए और आर्सेनिक जैसे विषैले तत्वों द्वारा संदूषण के मुद्दों सहित भूजल से संबंधित मुद्दों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर जन संपर्क कार्यक्रम (पीआईपी) आयोजित किया जाता है।
- जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए, "पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरिंग और निगरानी ढांचा" तैयार किया गया था और अक्टूबर 2021 में राज्यों को प्रसारित किया गया था। उपर्युक्त ढांचे के कार्यान्वयन को सुलभ बनाने के लिए देश में 2100 से अधिक जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) के माध्यम से जल के नमूनों का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक गांव से पांच व्यक्तियों, अधिमानतः महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। अब तक देश में 24 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका हैं, जिनमें से 5.53 लाख उत्तर प्रदेश में हैं।

*****

अनुलग्नक

"उत्तर प्रदेश में भूजल में आर्सेनिक का स्तर" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 27.03.2025 को दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 4600 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

उत्तर प्रदेश राज्य में अनुमत्य सीमा से अधिक आर्सेनिक का जिलावार वितरण

क्र.सं.	जिले का नाम	विश्लेषण किए गए नमूनों की कुल संख्या	अनुमत्य सीमा से अधिक (>0.01 मिग्रा/ली) आर्सेनिक दर्शाए गए नमूनों की संख्या	अनुमत्य सीमा से अधिक (>0.01 मिग्रा/ली) आर्सेनिक दर्शाए गए नमूनों का प्रतिशत
1	अलीगढ	34	1	2.9
2	आजमगढ़	8	2	25
3	बागपत	9	1	11.1
4	बहराईच	18	11	61.1
5	बलिया	11	5	45.5
6	बलरामपुर	33	5	15.2
7	बाराबंकी	20	1	5
8	बरेली	14	2	14.3
9	बस्ती	8	1	12.5
10	बिजनौर	17	3	17.6
11	बुलन्दशहर	24	1	4.2
12	देवरिया	21	1	4.8
13	फैजाबाद/अयोध्या	11	1	9.1
14	गोंडा	11	5	45.5
15	गोरखपुर	33	1	3.0
16	हरदोई	21	3	14.3
17	कुशीनगर	11	2	18.2
18	लखीमपुर खीरी	50	23	46.0
19	मैनपुरी	10	1	10
20	मिर्जापुर	30	2	6.7
21	मुरादाबाद	12	5	41.7
22	पीलीभीत	23	4	17.4
23	रायबरेली	15	1	6.7
24	रामपुर	9	2	22.2
25	सहारनपुर	15	1	6.7
26	संभल	5	1	20
27	संत कबीर नगर	24	3	12.5
28	शाहजहांपुर	22	2	9.1
29	सिद्धार्थ नगर	36	2	5.6
	कुल	**555**	**93**	**16.8**

*****